Ph. : 0141-2710483
Fax. :0141- 2707922

University Commerce College

University of Rajasthan

(University with Potential for Excellence Status)

Jawahar Lal Nehru Marg
Jaipur -302004

Principal

email : principalcommercecollege@gmail.com

NO. UCCJ/2026/ 839A

Dated 22/9/28

Office Order

A Purchase Committee consisting of the following faculty members is hereby constituted with reference to Ref. No. 206/Leka/NCC/26-27 dated 22.09.2026, for the purchase of refreshment items required to be provided to NCC Cadets for the Academic Session 2026–27.

S.No	Name of Member	Position
1.	Dr. M.L. Vasita Principal	Convener
2.	Lt. (Dr.) Poonam Vice-Principal ANO, 8RAJ BN.NCC UCCJ	Member
3.	Dr. P.C. Saini Vice-Principal	Member
4.	Dr. Mayank Agarwal Vice-Principal	Member
5.	Dr. D. P. Yadav Vice-Principal	Member
6.	Sh. Mohan Lal Meena Accountant	Member
7.	Cdt. Manvendra Singh Shekhawat 8RAJ BN.NCC UCCJ.	Member

Principal

NO. UCCJ/2026/....839A – 839C

Date:-

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the members of the Purchase Committee.
2. Office Copy.
3. Estt.//Accounts/Faculty.

Principal

Scanned with OKEN Scanner

Ph. : 0141-2710483
Fax. :0141- 2707922

University Commerce College
University of Rajasthan
(University with Potential for Excellence Status)

Jawahar Lal Nehru Marg
Jaipur -302004

Principal

email : principalcommercecollege@gmail.com

NO. UCCJ/2026/ 879
879

Dated: 29/9/26

Notice

A meeting of the Purchase Committee, composed as under of the University Commerce College will be held on 28/09/2026 at 12.30 p.m. in the Chamber of the undersigned to carry out market survey for rates of refreshment items required to be provided to NCC Cadets and obtained from vendors.

S.NO	NAME OF MEMBER	POSITION
1.	Dr. M.L. Vasita	Convener
2.	Dr. P.C. Saini	Member
3.	Lt. (Dr.) Poonam	Member
4.	Dr. Mayank Agarwal	Member
5.	Dr. D. P. Yadav	Member
6.	Sh. Mohan Lal Meena	Member
7.	Cdt. Manvendra Singh Shekhawat	Member

The entire member is requested to attend the meeting.

Principal

NO. UCCJ/2026/ 880

Dated 29/9/26

1. Copy for information to all the members

Principal

Scanned with OKEN Scanner

University Commerce College
University of Rajasthan
(University with Potential for Excellence Status)

Jawahar Lal Nehru Marg
Jaipur -302004

Principal

email : principalcommercecollege@gmail.com

NO. UCCJ/2026/ 881 **Dated:** 29/09/26

ATTENDANCE SHEET

The meeting for opening quotation for reference:

Ref:206/Leka/NCC/26-26 13/Aug/2026 and call for quotation for NCC refreshment of **8 Raj BN NCC JAIPUR** latter No **Ref:206/Leka/NCC/26-26 13/08/2026** held on **28 /09/ 2026** at 12:30 P.M in the office of Vice- Principal, University Commerce College, Jaipur,

The following member were Present:-

S.No	Name of Member	Signature
1.	Dr. M.L. Vasita Principal	[signature]
2.	Lt. (Dr.) Poonam Vice-Principal ANO, 8RAJ BN.NCC UCCJ	[signature]
3.	Dr. P.C. Saini Vice-Principal	[signature]
4.	Dr. Mayank Agarwal Vice-Principal	[signature]
5.	Dr. D. P. Yadav Vice-Principal	[signature]
6.	Sh. Mohan Lal Meena Accountant	[signature]
7.	Cdt. Manvendra Singh Shekhawat 8RAJ BN.NCC UCCJ.	M. Shekhawat

[signature]
Principal

Scanned with OKEN Scanner

Call for Quotation

(UCCJ/2026....../...882.../29/09/26

Ref : 8 Raj BN NCC Jaipur, 206/Lekha./NCC/ 2025-26 Date: 13 August 2026 (viva mail only)) after the UCCJ letter No: UCCJ/2026/............/....882/29/09/26

1. University Commerce College, Jaipur intends to purchase the following items for the refreshment items which are required to be provided to NCC Cadets.

2. You all are requested to intimate your rates on the letter head of your firm of below items including GST(if any) to be send through hand to **Principal, University Commerce College, Jaipur** by 01 October 2026 till 12.00. The Quotation will open in the meeting of Board Purchase committee held on 03 October 2026 at12.30. The 8 Raj Bn NCC will be completely responsible for the payment of the bills.

क्र. सं.	आइटम का नाम
1.	पेस्ट्री
2.	बिस्कीट बड़ा
3.	क्रीम रोल
4.	फ्रूट केक
5.	केला
6.	लड्डू
7.	बर्फी
8.	सेव
9.	संतरा
10.	कीनू
11.	मैंगो फ्रूटी
12.	रियल जूस
13.	नमकीन पैकेट
14.	लस्सी सरस

Scanned with OKEN Scanner

15.	छाछ सरस
16.	दूध मीठा गर्म किया हुआ 250 मिली
17.	बेकरी पैकिंग कुकीज
18.	गजक पैकड
19.	खजूर 100 ग्राम
20.	श्री खण्ड 100 ग्राम
21.	आइसक्रीम कप
22.	रोस्टेड मूंगफली दाना पैकेट
23.	रोस्टेड मूंग/मोठ/चना
24.	दही सरस कप
25.	वेज सेण्डविच
26.	रसगुल्ला पैकेट
27.	गुलाब जामुन पैकड
28.	राजभोग
29.	सोहनपपड़ी
30.	दूध गर्म
31.	सरस पेड़ा
32.	सरस कलाकन्द

ANO **Principal**

Scanned with OKEN Scanner

Gmail

Prof. Bhawani Shankar Sharma <principalcommercecollege@gmail.com>

TENDER FOR SUPPLY OF REFRESHMENT FOR NCC CADETS DURING NCC PARADE

1 message

7 RAJ(I) COY NCC <7rajnccjp@gmail.com> Thu, Aug 13, 2026 at 3:30 PM

To: mcj.principal@gmail.com, "Dr. Poonam" <drpoonambussadmn@gmail.com>, tamegh <tamegh@gmail.com>, devduttpatelzoology <devduttpatelzoology@gmail.com>, principalcommercecollege@gmail.com, urcjaipur@yahoo.co.in, gsssmanakchowk <gsssmanakchowk@gmail.com>, gsssadarshnagarjaipur@gmail.com, "sks.shahpura.jpr" <sks.shahpura.jpr@gmail.com>, Satyendra Sharma <satyendrasharma484@gmail.com>, Pankaj Gupta <pankajgupta2903@gmail.com>, surendra palsania <palsania.surendra845@gmail.com>

Sir,
Please find the attachment for your info and necessary action.

---

2 attachments

Refreshment Tender.pdf
179K

Refreshment Allowance for NCC Cadets in Training_0001.pdf
992K

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कमान अधिकारी
8 राज बटालियन एनसीसी, जयपुर
(पूर्व 7 राज ईण्डेप कम्पनी एनसीसी, जयपुर)

दूरभाषः 0141–2561527 ईमेलः co7raji-coy@nccindia.nic.in

क्रमांकः 206 / लेखा / एनसीसी / 25–26 दिनांकः 13 अगस्त 2026

प्रेषिति,

प्राचार्य / प्रधानाचार्य
विश्वविद्यालय महाराज महाविद्यालय, जयपुर

विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर

विश्वविद्यालय कॉमर्श महाविद्यालय, जयपुर

राजकीय सी.सै.स्कूल आदर्श नगर, जयपुर

राजकीय सी.सै.स्कूल मानक चौक, जयपुर

राजकीय सी.सै.स्कूल शाहपुरा, जयपुर

विषयः– प्रशिक्षण वर्ष 2026–27 के लिये कैडेट्स को एनसीसी परेड के दौरान नाश्ते के वितरण हे निविदा किये जाने बावत्।

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों / महाविद्यालयों के एनसीसी कैडेट्स को एनसीसी प के दौरान नाश्ता रु 18.00 प्रति कैडेट्स प्रति परेड की दर से दिये जाने हेतू राज्य सरकार की तरफ से 2026–27 हेतू इस कार्यालय को बजट आवंटित किया गया है।

2. उक्त नाश्ते में कैडेट्स को केवल पैक्ड समान एवं ताजे फल आदि का ही वितरण किया जाना सुनिशि करें तथा यह भी सुनिश्चित करें की कैडेट्स को नाश्ते के रूप में कोई तला हुआ खाने का सामान जैसे समो कचौरी आदि का वितरण न हो। (नियम संलग्न है)

3. आपके विद्यालय / महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2026–27 में एनसीसी कैडेट्स को परेड के दौरान नाश्ता वित हेतू आपके स्तर पर इस पत्र के साथ संलग्न नियमानुसार निविदा कर कमान अधिकारी के अनुमोदन हेतू इस पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–

उपरोक्तानुसार

कर्नल / ले. कर्नल
Col/Lt Col
कमान अधिकारी
Commanding Officer
8 राज बटालियन एनसीसी, जयपुर.
8 Raj Bn NCC, Jaipur

Scanned with OKEN Scanner

एन.सी.सी. निदेशालय राजस्थान,
अम्बाबाडी, जयपुर कैन्ट–302012

क्रमांक : एफ–2/राज्य लेखा/एनसीसी/बजट आवंटन/2025–26/ दिनांक : दिसम्बर 2025

ग्रुप कमाण्डर
एनसीसी ग्रुप मुख्यालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा
एवं समस्त कमान अधिकारी।

विषय :– एनसीसी कैडेटस को प्रशिक्षण के दौरान देय नाश्ते (Refreshment) के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) केंन्द्रीय अनुभाग का पत्र क्रमांक 1601/प्रशिक्षण/एनसीसी दिनांक 02 दिसम्बर 2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र 1601/प्रशिक्षण/एनसीसी दिनांक 02 दिसम्बर 2025 संलग्न कर भिजवाया जा रहा है जिसमें एनसीसी कैडेटस को दिये जाने वाले नाश्ते के विवरण का उल्लेख किया गया है। अतः प्रशिक्षण शाखा द्वारा जारी पत्र की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपमहानिदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

उपमहानिदेशक

Signature valid
Digitally signed by Sam[illegible]ath Kuma[illegible]
Anand
Designation : Deputy Director Gen[illegible]
Date: 2025.12.[illegible]:23:23 IST

RajKaj Ref No.: 19522730

Scanned with OKEN Scanner

अन्तर कार्यालय नोट

प्रशिक्षण शाखा : केन्द्रीय अनुभाग

क्रमांक : 1601/प्रशिक्षण/एनसीसी　　　　　　　　　　　　दिनांक : 02 दिसम्बर 2025

विषय :– एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण के दौरान देय नाश्ते (Refreshment) के सम्बन्ध में।

देश के युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने, इस हेतु इन्हें तैयार करने व इनके व्यक्तित्व को आकार देने में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इकाई (यूनिट) कार्यालय स्तर पर देय प्रशिक्षण (संस्थागत प्रशिक्षण Institutional Training) इस समग्र प्रयास एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं में सही मूल्यों का पोषण करना, आत्मविश्वास विकसित करना, जागरूकता बढ़ाना और इन्हें बुनियादी सैन्य कौशल तथा बुनियादी सैन्य ज्ञान से परिचित कराना है। युवाओं को एनसीसी कैडेट के रूप में दिये जाने वाले संस्थागत प्रशिक्षण में नाश्ते का विशेष महत्व है। इसलिये यह जरूरी है कि संस्थागत प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को श्रेष्ठ (Optimal), पौष्टिक (Nutritious), स्वास्थ्यवर्धक (Healthier)व कमा वसा (Low Fatty) वाला नाश्ता (Refreshment) उपलब्ध कराया जावे। इस सम्बन्ध में महानिदेशक एनसीसी, नई दिल्ली द्वारा एस.ओ.पी. (SOP) जारी की गई है जिसके प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थागत प्रशिक्षण के दौरान एनसीसी कैडेट्स को देय नाश्ते की योजना (Planning), खरीद (Procurement) और प्रावधान (Provisioning) के लिये दिशानिर्देश अनुशंसित किये गये हैं जिनकी पालना में की जाने वाली आगामी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैं :–

1. नाश्ते की दर :– वर्तमान में 40 मिनिट की परेड अवधि के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रति कैडेट नाश्ते की दर रू. 25/– निर्धारित है जिसके संगत राज्य सरकार द्वारा 40 मिनिट की परेड अवधि के लिय प्रति कैडेट नाश्ते की दर रू 18/– निर्धारित की गई है।

2. नाश्ते में देय खाद्य सामग्री :– राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नाश्ते की दर में निम्न नाश्ता सामग्री दिये जाने की पालना सुनिश्चित की जावे :–

2.1 केवल पहले से तैयार (Packed) एवं स्वस्थ नाश्ता (Healthy Snacks) जिसमें को–ऑपरेटिव संस्थाओं जैसे सरस, अमूल, वेरका, मदर डेयरी, सांची आदि डेयरियों के खाद्य / पेय पदार्थ यथा फ्लेवर्ड दूध (Flavoured Milk), दही, छाछ सादा, छाछ नमकीन / जीरा, लस्सी मीठी, श्रीखण्ड, आइसक्रीम व अन्य खाद्य पदार्थ जब भी सरस द्वारा उपलब्ध कराये जाते हों, ही दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

2.2 कोई भी तेल युक्त(Oily), तला हुआ (Fried) व अस्वास्थ्यकर (Unhealthy) नाश्ता कैडेट्स को नहीं दिया जावे।

2.3 फलों को छोड़कर कोई भी अन्य खुला खाद्य पदार्थ कैडेट्स को नहीं दिया जावे।

(नोट :– उक्त देय खाद्य सामग्री में व्यय होने वाली राशि में 75 प्रतिशत सरस के खाद्य पदार्थों पर व 25 प्रतिशत ताजा फलों पर किया जाना सुनिश्चित किया जावे)

Scanned with OKEN Scanner

3. <u>नाश्ते के प्रावधान की प्रक्रिया (Procedure for Provisioning)</u> :–

3.1 एनसीसी कैडेट्स को संस्थागत प्रशिक्षण के दौरान देय नाश्ते की सामग्री के मैन्यू (Menu) का अनुमोदन उप महानिदेशक एनसीसी राजस्थान द्वारा किया जावेगा व अनुमोदित मैन्यू की पालना समस्त संस्थाओं द्वारा की जावेगी।

3.2 नाश्ते की आपूर्ति के लिये विक्रेता का चयन GeM पोर्टल से संस्था के एएनओ व संस्था के प्राचार्य / प्रधानाचार्य के परामर्श से एक वर्ष (अप्रैल से मार्च) की अवधि के लिये किया जावेगा। उक्त बिन्दू संख्या 2.1 अंकित नाश्ते की सामग्री को–ऑपरेटिव डेयरी संस्थाओं जैसे सरस, अमूल, वेरका, मदर डेयरी, सांची आदि द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। अतः राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (सरस) से पैरा 2.1 में अंकित नाश्ता सामग्री क्रय करने पर GeM पोर्टल से विक्रेता का चयन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपितु सीधे ही सरस डेयरी के डेयरी बूथों से क्रय की जावे। सरस के अतिरिक्त अन्य को–ऑपरेटिव डेयरी संस्थाओं जैसे अमूल, वेरका, मदर डेयरी, सांची आदि डेयरियों के खाद्य पदार्थ क्रय करने हेतु GeM पोर्टल से विक्रेता के चयन करने की आवश्यकता होगी।

3.3 यदि GeM पोर्टल पर उक्त सेवा उपलब्ध नहीं हो तो तीन सदस्यीय क्रय समिति, जिसमें ए.एन.ओ., पी आई स्टॉफ व प्राचार्य / प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान सम्मिलित हों, का गठन कर निविदायें प्राप्त कर प्रत्येक वर्ष फरवरी / मार्च माह में जी.एस.टी. संख्या (GST No.) स्थानीय विक्रेताओं से तीन कोटेशन प्राप्त करेगी। जी.एस.टी. विक्रेता विशेषरूप से आदिवासी / आन्तरिक ग्रामीण क्षेत्रों में जी.एस.टी. से छूट का हलफनामा संलग्न करेगा। (इस सम्बन्ध में जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के नियम 22 का अवलोकन करें)

3.4 उपरोक्त पैरा 3.3 के अनुसार गठित क्रय समिति तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार करेगी तथा तुलनात्मक विवरण पत्र के आधार पर एल–1 विक्रेता से संस्था अनुबन्ध करेगी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आर.टी.पी.पी. एक्ट 2013 के नियम 26 के अनुसार राशि रू. 10,000/– तक की क्रय हेतु निविदा की आवश्यकता नहीं होगी जो कि एक वित्तीय वर्ष में राशि रू. 1,00,000/– की सीमा तक अनुज्ञेय (Permitted) है।

3.5 क्रय समिति की अनुशंषा पर कमान अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

3.6 कमान अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् ए.एन.ओ. कैडेट्स के नाश्ते का आदेश देगा। यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष मार्च माह तक पूर्ण हो जानी चाहिये।

3.7 नाश्ते सम्बन्धित ए.एन.ओ. / पी. आई. स्टॉफ द्वारा वितरित किया जावेगा। वितरित किये गये नाश्ते की फोटाग्राफ रिकॉर्ड के लिए रखी जावेगी।

4. आपूर्तिकर्त्ता को सम्बन्धित संस्था द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले नाश्ते के लिये मासिक आधार पर बिल तैयार करना होगा। आपूर्तिकर्त्ता को बिल के साथ अपने बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराना होगा। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा तैयार किये गये बिलों का सत्यापन सम्बन्धित ए.एन.ओ. द्वारा किया जावेगा और संस्था के प्राचार्य / प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान द्वारा प्रतिहस्तांक्षरित किया जायेगा।

5. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बिल मासिक आधार पर कमान अधिकारी को भेजे जायेंगे :–

Scanned with OKEN Scanner

5.1 आपूर्तिकर्त्ता का बिल ए.एन.ओ. द्वारा विधिवत् सत्यापित और प्राचार्य / प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

5.2 कैडेट्स के सम्बन्ध में उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet), प्रत्येक कैडेट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा ए.एन.ओ. / पी आई स्टॉफ द्वारा सत्यापित तथा प्राचार्य /प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

6. बिलों की जाँच इकाई कार्यालय के Trg JCO, लेखा शाखा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जावेगी व कमान अधिकारी के हस्ताक्षर पश्चात् ही बिल भुगतान हेतु कोष कार्यालय (Treasury) को प्रेषित किये जावें।

7. नाश्ते के सम्बन्ध में इकाई कार्यालय द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज लेखा परीक्षा हेतु बनाये जायेंगे :—

7.1 प्रशिक्षण डायरी (परेड की जियो–टैग फोटो के साथ)

7.2 कैडेट्स की नोमीनल रोल / उपस्थिति पंजिका

7.3 आपूर्तिकर्त्ता के बिल

7.4 वितरित किये गए नाश्ते की दिनवार फोटोग्राफ, जिसमें सभी कैडेट्स के हाथ में नाश्ते की सामग्री हो।

8. सम्बन्धित संस्था (महाविद्यालय / विद्यालय) निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक 'अ') में, प्राचार्य / प्रधानाचार्य और ए.एन.ओ. के प्रतिहस्ताक्षर सहित नाश्ते की क्रय समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, नाश्ते की लेखा रिपोर्ट मासिक आधार पर सम्बन्धित इकाई कार्यालय को प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त इकाई कार्यालय तिमाही आधार (Quarterly) पर ग्रुप मुख्यालय को नाश्ते की लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात्, ग्रुप मुख्यालय अर्धवार्षिक आधार पर इस निदेशालय को समेकित रिपोर्ट (Consolidated Report) प्रस्तुत करेगा।

9. इकाई कार्यालयों व ग्रुप मुख्यालयों के Annual Adm Inspection के दौरान नाश्ते के लेखा की जाँच की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण–पत्र Annual Adm Inspection Report में सम्मिलित किया जायेगा।

10. उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

(विनोद कुमार)
कर्नल
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

1. संयुक्त निदेशक (समन्वय)
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राज्य)

Scanned with OKEN Scanner